

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्था)

9वीं मंजील, गिफ्ट वन टॉवर, ब्लॉक-56, रोड-5सी, झोन-5, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर-382355 (गुजरात), भारत

टेलीफोन नं. +91-79-66748531/32, फैक्स नं. +91-79-66748533

वेबसाइट <https://gandhinagar.stpi.in>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना पुस्तिका

अध्याय 1: परिचय

1.1 लघु पुस्तिका की पृष्ठभूमि

यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) की धारा 4 के अनुसरण में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के उद्देश्यों, कार्यों आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

1.2 उद्देश्य

- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के कार्यालय के नियंत्रण में सूचना तथा अभिगम्यता प्रदान करना और कार्य शैली में पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना।
- अधिकतम सूचना यथास्थिति सुओ मोटो (अथवा इनके स्रोत प्रदान करना, ताकि जन सामान्य आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने का न्यूनतम आश्रय लें।

1.3 इच्छित उपयोगकर्ता

यह लघु पुस्तिका छोटे/मध्यम उद्यमियों और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों सहित सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए उपयोगी है।

1.4 अधिक जानकारी पाने के लिए सम्पर्क हेतु व्यक्ति

आगे दिए गए अध्याय 17- के अनुसार कृपया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के कार्यालय और इसके केन्द्रों / उप-केन्द्रों में लोक सूचना अधिकारी/संबंधित सहायक लोक अधिकारियों से सम्पर्क करें।

1.5 प्रयुक्त परिभाषाएँ / संक्षेपाक्षर

- (क) “एपीआईओ” का अर्थ है सहायक लोक सूचना अधिकारी, आरटीआई अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तिर्गत नामोद्दिष्ट।
- (ख) (ख) “एए” का अर्थ है अपीलीय प्राधिकरण, जिनके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 7 (8) (111) के अंतर्गत एक अपील दर्ज की जा सकती है।
- (ग) “डीजी” का अर्थ है महानिदेशक / डाइरेक्टर जनरल एसटीपीआई
- (घ) “एक्ज़िज़िम नीति” का अर्थ है निर्यात/आयात नीति
- (ङ) आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत “पीआईओ” का अर्थ है नामोद्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी
- (च) “आरटीआई अधिनियम” का अर्थ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- (छ) “ईएचटीपी स्कीम” का अर्थ है इलेक्ट्रा निक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
- (ज) “एसटीपी स्कीम” का अर्थ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
- (झ) “एसटीपीआई” - सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
- (ञ) “एमटीएस” - मेंबर तकनीकी स्टाफ
- (ट) “एमटीएसएस” - मेंबर तकनीकी सपोर्ट स्टाफ

- (ठ) "एमएस" - मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ
- (ड) "एमएसएस" - मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ
- (ढ) "एसईबी" - स्टैंडिंग एग्जिक्यूटिव बोर्ड
- (ण) "जीसी" - शासी परिषद
- (त) "आईबी" - आसूचना ब्यूरो
- (थ) "टीओ" - तकनीकी अधिकारी
- (द) "ओआईसी" - ऑफिसर-इन-चार्ज

1.6 लघु पुस्तिका में अनुपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया विधि और शुल्क

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना पाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस लघु पुस्तिका के साथ संलग्न प्रपत्र 1-में आवेदन संबंधित पीआईओ या एपीआईओ को दे सकता है। ये प्रपत्र एसटीपीआई के कार्यालय केन्द्रों/उप-केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसे एसटीपीआई- गांधीनगर की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा कागजपत्रों/बोलियों/दरों/व्यावसायिक कागजपत्रों के अलावा कागजपत्रों की कीमत अथवा कागजपत्रों/सूचना , पर फोटो प्रति की कीमत को छोड़कर सूचना प्रदान करने के लिए प्रति आवेदन के हिसाब से ,अगर कोई होरु. 10/-)दस रुपये (चार्ज किए जाएंगे। निविदा कागज पत्रों के लिए प्रति आवेदन के हिसाब से-रु. 500/- पाँच सौ) रुपये (आवेदन शुल्क के रूप में चार्ज किया जाएगा। एसटीपीआई के कार्यालय के नियंत्रण के अन्तर्गत कागजातों की फोटो की पूर्ति के लिए रु. 2/-)दो रुपये(प्रति पेज के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।

उपर्युक्त के अनुसार अदा की जाने वाली शुल्क/चार्ज/माँगपत्र/भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो ,सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नाम गांधीनगर में अदायगी होगा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अधीनएसटीपीआई जितना , जल्दी संभव हो उत्तर देने/सूचना प्रदान करने का प्रयास करेगा पर किसी भी स्थिति में अनुरोध प्राप्त होने के ,30 दिनों के अंदर ऐसा किया जाएगा।

अध्याय -2: संगठन का विवरण ,कार्य AND[धारा UTI4 (1)(ख)(i)]

2.1 एसटीपीआई : पृष्ठभूमि

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को एसटीपी योजना के कार्यान्वयन ,मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना और प्रबंध करने एवं प्रौद्योगिकी आकलन तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य सहित 5 जून 1991 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संस्था पंजीकरण अधिनियम , 1860के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत और स्थापित किया गया था।

2.2 संस्था के उद्देश्य

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्देश्य इस प्रकार है:

- (क) सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी योग्य सेवाओं/जैव-प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना।
- (ख) एसटीपीईएचटीपी योजना तथा समय/-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी गई इसी तरह के अन्य योजनाओं को तैयार करके कार्यान्वित करके निर्यातकों को वैधानिक सेवाएँ प्रदान करना।
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी योग्य सेवाओं में विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं सहित डेटा कम्यूनिकेशन सर्विसेस प्रदान करना।
- (घ) आईटी आईटीईएस के क्षेत्र में /एक प्रेरक परिवेश बनाकर लघु छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देना। ,

2.3 संस्था के प्रकार्य :

एसटीपीआई अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए सभी कार्य निष्पादित करता है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (1) देश में विभिन्न स्थलों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स / केन्द्रों की स्थापना करना:
 - (क) एसटीपीआई द्वारा पहले के सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉम्प्लेक्स के उत्तराधिकारी होने की वजह से सभी कार्यकलापों को करना।
 - (ख) %100निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं आदि जैसे बुनियादी ढांचागत संसाधनों को स्थापित और प्रबंधित करना और निर्यातकों के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं को इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना।
 - (ग) प्रौद्योगिकी निर्धारणबाज़ार वर्गीकरण के साथ ,बाज़ार विश्लेषण , -साथ कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि का आयोजन करने जैसे अन्य निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को करना।
 - (घ) उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से घरेलू क्षेत्र में विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
 - (ङ) उद्योग और सरकार के बीच एक अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नजदीकी से कार्य करना।
 - (च) सरकार द्वारा घोषित एसटीपीआई/ईएचटीपी योजना को प्रोत्साहन देने के लिए एसटीपीआई सुविधाएँ स्थापित कर द्वितीयक और तृतीयक स्थलों को प्रोत्साहन देना।
 - (छ) इंकुबेशन कार्यक्रमों/नवीन निधियाँ/आईपी विकास तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को प्रोत्साहन देना।
 - (ज) निर्यातों की संचयी वृद्धि के लिए अलग-अलग राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नीतियाँ तैयार करने और समन्वय में राज्य सरकारों की सहायता करना।
 - (झ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानक का कार्यान्वयन।
 - (ञ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्यम पूँजीपतियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करना।
 - (ट) एसटीपीआई के कौशल क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में परियोजना प्रबंध तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

(2) वित्तीय प्रबंध प्रकार्यों का निष्पादनजिनमें साथ , -साथ ही निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होती हैं:

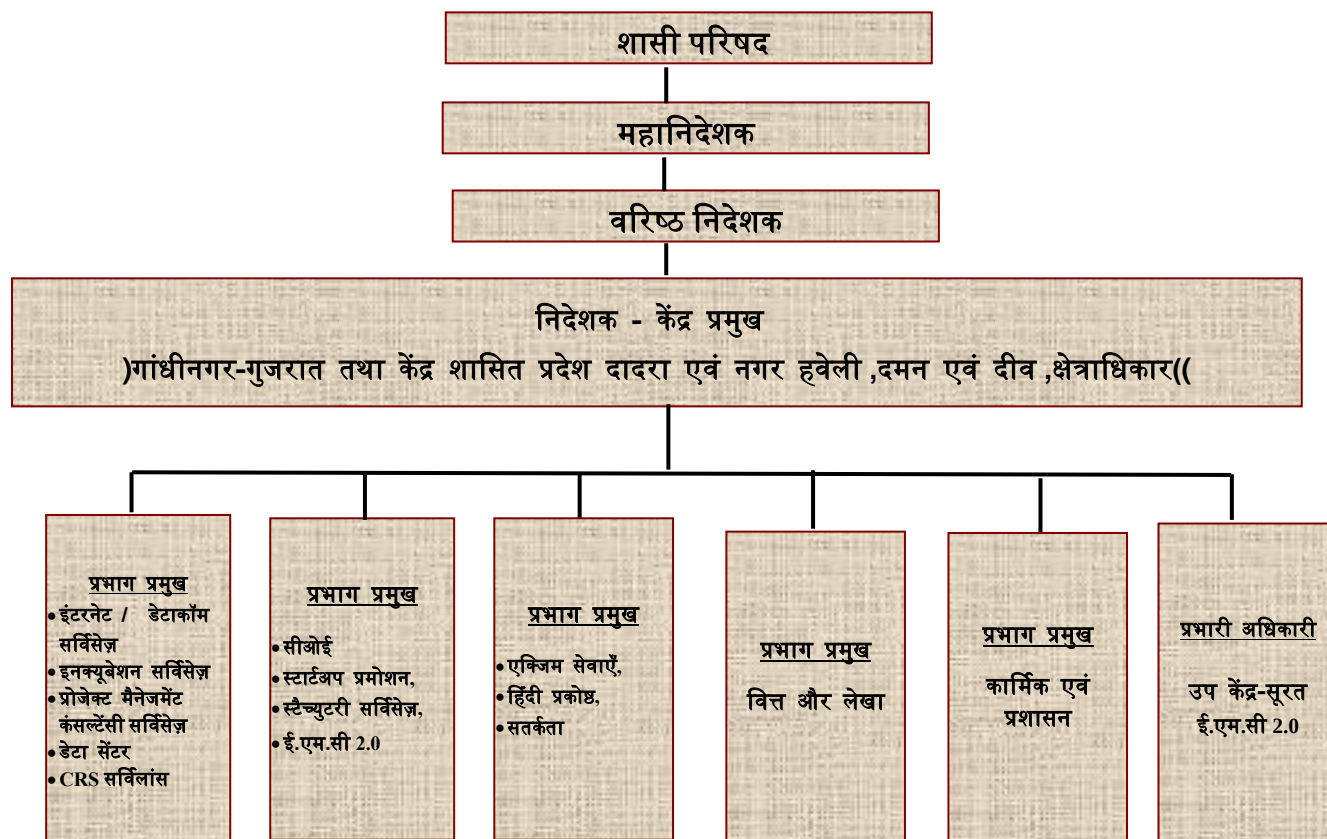
- (क) एसटीपीआई के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार , न्यासों , निगमों , संगठनों या किसी व्यक्ति से अनुदान , वसीयतें प्राप्त या स्वीकार करना , उपहार , दान , अंशदान

टिप्पणी : जब कभी भी विदेशी सरकारों/संगठनों से कोई उपहार , दान स्वीकार किया जाता है/प्राप्त किया जाता हैवे सभी , उपहार आदि सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर विनियमित किया जाएगा।

- (ख) एक कोष बनानाजिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा ,:
 - केन्द्र सरकारविश्वविद्यालय आदि द्वारा प्रदान किया गया धन। , निगम , राज्य सरकार ,
 - एसटीपीआई में प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार
 - अनुदानों वसीयतों और अंतरणों से एसटीपीआई में प्राप्त सभी धनराशि और , उपहार , दानों , उपहारों ,
 - किसी अन्य रूप में अथवा कियी अन्य स्रोत से एसटीपीआई में प्राप्त धनराशि।
- (ग) अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोष में सभी धनराशि जमा करना अथवा एसटीपीआई के लाभ हेतु इस प्रकार निवेश करना%60 जैसा निर्धारित किया जाए। कम से कम निधि का , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा किया जाए अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जमा किया जाए।
- (घ) चैकनोट या अन्य विचार , -विमर्श उपकरणों को निकालनेस् , बनाने , वीकारपृष्ठांकन और रियायत देने और इस , जैसा एसटीपीआई के , क्रियान्वयन और प्रदान करना , प्रयोजन के लिए उक्त आश्वासन और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर प्रयोजनों के लिए अनिवार्य हो।

- (ड) एसटीपीआई की धनराशि में से या उक्त कोष का कोई विशेष भाग भुगतान करना एसटीपीआई के निर्माण और पुनर्गठन के लिए समय-समय पर हुए व्ययों और सभी किराएबाहर जाने और कर्मचारियों के वेतन , करों , दरों , सहित किसी जारी गतिविधि का प्रबंध और प्रशासन करना।
- (च) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासी परिषद के पूर्व अनुमोदन सहित एसटीपीआई के प्रयो , जनों के लिए किसी भी रूप में सम्पत्ति अर्जित करना स्वामित्व और निपटान करना। ,
- (3) एसटीपीआई के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरत के अनुसार सभी कार्य करना।

2.4 संगठन चार्ट



2.5 एसटीपीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

2.5.1 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (एसटीपी) डेटा संचार लिंक या भौतिक माध्यम के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सक्षम सेवाओं के लिए 100% निर्यात-उन्मुख योजना है। सॉफ्टवेयर उद्योग को ठोस तरीके से प्रोत्साहन देने और उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप गति से व्यवसाय करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए एसटीपी योजना शुरू की गई थी।

यह योजना 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) और विज्ञान पार्कों / प्रौद्योगिकी पार्कों की सरकार की अवधारणा को दुनिया में कहीं और संचालित करती है।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHTP) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बनाने के लिए 100% एक्सपोर्ट पर आधारित स्कीम है। जो कंपनियाँ अपने सामान और सर्विस का पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उन्हें EHTP स्कीम के तहत शुरू किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रोडक्ट और सर्विस (STP) के डेवलपमेंट में लगी कंपनियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान और सर्विस बनाने में लगी कंपनियाँ इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए रजिस्टर कर सकती हैं।

एसटीपी और ईएचटीपी योजना के लाभ और मुख्य विशेषताएं

- एक कंपनी भारत में कहीं भी एसटीपी/ईएचटीपी इकाई स्थापित कर सकती है।
- 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म के तहत मंजूरी दी जाती है।
- माल, कच्चे माल (ईएचटीपी) और सॉफ्टवेयर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है।
- पुराने पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है।
- आयातित माल के पुनः निर्यात की अनुमति है।
- पांच साल की अवधि में "सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (सकारात्मक एनएफई)" के सरलीकृत न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन मानदंड।
- एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां प्रशिक्षण उद्देश्य (वाणिज्यिक प्रशिक्षण सहित) के लिए सभी शुल्क मुक्त उपकरण/सामान का उपयोग इस शर्त के अधीन कर सकती हैं कि इस उद्देश्य के लिए बंधुआ परिसर के बाहर कोई शुल्क मुक्त उपकरण/सामान स्थापित नहीं किया जाएगा।
- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री की अनुमति है।
- कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाह्य उपकरणों को भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों को उनके आयात के दो साल बाद बिना किसी शुल्क के भुगतान के दान किया जा सकता है।
- अन्य मदों के मामले में कंप्यूटर और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के लिए 5 साल और 10 साल में 100% तक मूल्यह्रास की अनुमति है।

सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमाणन

सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो एसटीपी योजना का लाभ नहीं लेना चाहती हैं, सॉफ्टवेयर निर्यात के प्रमाणीकरण के लिए एसटीपीआई के साथ पंजीकृत हो सकती हैं। पंजीकरण पर, कंपनी को तीन साल की वैधता के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके दौरान वे अपने सॉफ्टवेयर निर्यात को एसटीपीआई द्वारा प्रमाणित करवा सकते हैं। इसे एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए और भी नवीकृत किया जा सकता है।

2.5.2 इंटरनेट एवं मैनेज्ड आईटी सेवाएँ

हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन सेवाएं

एसटीपीआई गुणवत्ता, भारतीय आईटी उद्योग के डेटा कम्युनिकेशन की जरूरतों को पूरा करता है, की सॉफ्टलिक सेवा प्रदान करके जो अपतटीय विकास कर रहे सॉफ्टवेयर निर्यातकों को इंटरनेट लीज लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

एसटीपीआई सेवा क्षेत्र के रूप में अखिल भारतीय श्रेणी-ए इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस भी रखता है। वास्तव में एसटीपीआई, भारत का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है और मल्टी-एक्सेस रेडियो नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल प्राइवेट लाइन की पेशकश करने वाला पहला सेवा प्रदाता है। एसटीपीआई की राष्ट्रीय सेवा वितरण और प्रबंधन संरचना में लगभग 60 स्वतंत्र गेटवे शामिल हैं।

सॉफ्टलिक सेवाएं

सॉफ्टलिक आईटी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से विकसित एक इंटरनेट सेवा है। यह सेवा आईटी उद्योग की जरूरतों को पूरा कर रही है और गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ उच्च गतिसमर्पित इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। एक, अच्छी तरह से योग्य तकनीकी टीम द्वारा नियंत्रित ग्राहकों को; तकनीकी सहायता व ऑनलाइन बैंडविड्थ आँकड़े X 7 X 365 24 इंटरनेट नेटवर्क के लिए सेवा स्तर उपयोग की निगरानी करने और भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। समझौता (SLA) 99.5% से अधिक की गारंटी देता है।

लाभ

- सभी स्तरों पर नेटवर्क अतिरेक (यानी स्विच और ट्रांसमिशन स्तर पर इंटरनेट गेटवे से कनेक्टिविटी, राउटर, लास्ट माइल,)
- मल्टी-होमड गेटवे के साथ रोबस्ट नेटवर्क
- अच्छी तरह से योग्य तकनीकी टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तकनीकी सहायता 24x7x365
- ऑनलाइन बैंडविड्थ आँकड़े उपयोग की निगरानी और ग्राहक को भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं
- यह प्रमाणित संगठन है ISO
- %99.5 से अधिक का सेवा स्तर समझौता ((SLA
- वर्तमान इंटरनेट लीज लाइन सेवा ग्राहकों के लिए डिमांड (BoD) पर बैंडविड्थ सेवा

प्रबंधित आईटी सेवा

एसटीपीआई पूरे भारत में ग्राहकों को प्रबंधित आईटी सेवा प्रदान करता है, लंबे समय तक आईटी अवसंरचना पुनरावृत्ति खरीद को संबोधित करने के लिए, संसाधनों के अभाव, गतिशील स्केलेबिलिटी, और अनुप्रयोगों और डेटा की उचित डिजास्टर रिकवरी की आवश्यकता है।

एसटीपीआई निम्नलिखित आईटी सेवाएं प्रदान करता है

- सर्वर कोलोकेशन
- डोमेन और वेब होस्टिंग सेवाएँ
- डिजास्टर रिकवरी सेवाएँ
- मैनेज्ड सिक्योरिटी सेवाएँ
- मैनेज्ड ई-मेल सेवा
- बैकअप सेवा
- टेप वॉल्टिंग सेवा

2.5.3 इन्क्यूबेशन सेवाएँ

इन्क्यूबेशन की संकल्पना विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास सहित उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसाय वृद्धि के लिए अपेक्षित मूल संरचना के एक अनिवार्य घटक के रूप में उभरी है। ये इन्क्यूबेटर प्रौद्योगिकी के विचारों को वाणिज्यिक सफलता में बदलने के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करते हैं।

एसटीपीआई ने लघु और मध्यम उद्यमियों (एसएमई) के लिए अपने कई केंद्रों में ऊष्मायन सुविधा की अवधारणा शुरू की है। एसटीपीआई पहले दिन से सॉफ्टवेयर इकाइयों द्वारा परिचालन शुरू करने के लिए पूरी सुविधा स्थापित करता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त समय अथवा पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। यह ग्राहक में विश्वास विकसित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार का अवसर न खोए। एसटीपीआई ने गांधीनगर और सूरत में एक प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र स्थापित किया है।

इन्क्यूबेशन में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:

- मॉड्युलर भवन आईटी उद्यमियों द्वारा उपयोग के लिए तैयार होते हैं।
- विद्युत की बैक-अप आपूर्ति
- टेलीफोन और फैक्स सुविधा
- वातानुकूलन
- व्यवसाय केन्द्र
- सम्मेलन कक्ष और प्रशिक्षण सुविधाएँ
- उच्च गति संचार लिंक वीडिया कान्फरेंसिंग सुविधाएँ, इंटरनेट,

2.5.4 परियोजना प्रबंध और परामर्श सेवाएँ

एसटीपीआई विभिन्न संगठनों की नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएमसी सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है।

डेटा सेंटर स्थापना एवं प्रबंधन सेवाएँ

मजबूत डेटा सेंटर समाधान रणनीति के साथ आईटी प्लेटफॉर्म का विस्तार

- TIA-942 मानकों के अनुसार डेटा सेंटर स्थापित करना
- डेटा केंद्रों और नेटवर्क संचालन केंद्रों के लिए ओ एंड एम सेवाएं
- सर्वर (डीएनएस, वेब, ईमेल आदि) का सह-स्थान और उसका प्रबंधन

नेटवर्क एवं आईटी अवसंरचना सेवाएँ

नए युग के मानकों के अनुसार संगठनात्मक आईटी अवसंरचना का निर्माण और प्रबंधन

- विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर नेटवर्क का डिजाइन और कार्यान्वयन
- नेटवर्क प्रबंधन केंद्र स्थापित करना (स्थानीय और दूरस्थ इन्फ्रा प्रबंधन)
- लागत को अनुकूलित करते हुए सिस्टम की विश्वसनीयता, उपलब्धता और सुरक्षा का प्रबंधन करना
- डेटाबेस और संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन और प्रशासन

आईटी लेखापरीक्षा एवं सुरक्षा संचालन सेवाएँ

आईटी सिस्टम को नवीनतम कमजोरियों से सुरक्षित करना

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईटी ऑडिट के लिए सलाहकार सेवाएं
- भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) के माध्यम से सूचना सुरक्षा ऑडिट
- सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) सेवा

स्टार्टअप प्रमोशन सेवाएँ

स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद करने के लिए सहायक ढांचा प्रदान करना

स्टार्टअप इकोसिस्टम सेटअप

व्यवहार्यता अध्ययन
एसओपी और एंगेजमेंट मॉडल का निर्माण
पार्टनर्स/स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग
कार्यक्रम प्रबंधन
प्रयोगशालाएं और अन्य संबंधित सुविधाएं स्थापित करना

पारिस्थितिकी तंत्र उन्नयन

अंतराल विश्लेषण और उपचारात्मक कार्य योजना
नए साझेदारों/स्टार्टअप आदि को शामिल करने की
रणनीति
आईपीआर समर्थन, अनुपालन समर्थन, उद्योग बाजार
फिट जैसी प्रमुख सेवाएं प्रदान करना
चैलेंज कार्यक्रम, हैकथॉन, आउटरीच/नेटवर्किंग कार्यक्रम
आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन करना।

एसटीपीआई निम्नलिखित क्लाउड और डेटा केंद्र सेवाएं प्रदान करता है

- कोलोकेशन सेवाएं
- वर्चुअल प्राइवेट सर्वर
- वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड
- हाइब्रिड क्लाउड सेवाएं
- स्टोरोज सेवाएं
- बैकअप सेवाएं
- एस.ओ.सी. सेवाएं

2.5.5 सेंटर्स ऑफ़ एंटरप्रेन्योरशिप (सीओई)

कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

2.5.6 नेक्स्ट जनरेशन इन्क्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस)

कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

2.5.7 भारत बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस)

कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

2.5.8 मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी 2.0) स्कीम

कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

अध्याय :3 -एसटीपीआई अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य]धारा) (1) 4 ख[(ii) (

क्र स	पद का नाम	कार्य का दायित्व
.1	निदेशक	➤ निदेशक संबंधित केन्द्रों के प्रशासनिक और तकनीकी प्रमुख हैं। ➤ निदेशक के एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हार्ड स्पीड डाटा संचार (एचएसडीसी) (सुविधा उद्योग के लिए स्थापित करने के अधिकार दिए गए हैं। ➤ आईटी/आईटीईएस उद्योग और निर्यात के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा संस्थान राज्य सरकार के साथ समन्वय। ➤ एसटीपीआई के अधीन ईओयू इकाइयों की निगरानी और समीक्षा ➤ निदेशक समग्र प्रबंधन और राज्य के अधिकार क्षेत्र में एसटीपीआई के संचालन के लिए भी जिम्मेदार हैं। ➤ एसटीपीआई के आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए रणनीतिक योजना।
.2	एमटीएस-ई-V (वैज्ञानिक 'एफ')	➤ डेटाकॉम सर्विसेज़ और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, क्लाउड और स.ओ.सी सर्विसेज़, नई परियोजनाओं का प्रबंधन ➤ सभी सी.ओ.ई के लिए ए.आइ ➤ वी.ए.पी.टी सेवाएँ, साइबर सुरक्षा, सी.आर.ओ ➤ हार्ड स्पीड डेटा संचार सुविधाएँ] ➤ परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ और ऊष्मायन सुविधाएँ ➤ डेटा सेंटर परियोजनाएँ ➤ भवन/बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएँ
.3	एमटीएस-ई-V (वैज्ञानिक 'एफ')	➤ स्टार्टअप प्रमोशन, ब्रांडिंग, उद्योग प्रमोशन, व्यापार प्रमोशनल गतिविधियों और आउटरीच गतिविधियों, प्रशिक्षण गतिविधियों की देखरेख करना ➤ सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया का मैनेजमेंट, और ट्रेनिंग एक्टिविटी और ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोऑर्डिनेशन ➤ एसटीपी, ईएचटीपी, और एनएसटीपी के तहत सभी नए पंजीकरणों की देखरेख करना ➤ सॉफ्टवेक्स प्रमाणन ➤ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी (2.0 योजना की देखरेख ➤ साइबर सुरक्षा के लिए सी.ओ.ई
.3	एमटीएस ई-IV (वैज्ञानिक 'ई')	➤ एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं का कार्यान्वयन, निगरानी, नवीनीकरण और एसटीपी/ईएचटीपी/एनएसटीपी से बाहर निकलना ➤ स्टैच्युटरी सर्विसेज़ के मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख। ➤ सॉफ्टवेक्स प्रमाणन ➤ आईएमएससी मामले ➤ सतर्कता मामले ➤ हिंदी सेल
.4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	➤ कार्मिक मामले ➤ स्थापना और प्रशासन ➤ कानूनी कोर्ट केस, पब्लिक ग्रीवांस वगैरह। ➤ सूचना का अधिकार अधिनियम ➤ बुनियादी ढांचा सुविधाएं और रसद प्रबंधन ➤ केंद्र के लिए खरीदारी
.5	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	➤ वित्त, लेखा, भुगतान, लेखा गतिविधियों की लेखा परीक्षा के संचालन प्रमुख-एसटीपीआई गांधीनगर और उसके उप-केंद्र
.6	प्रभारी अधिकारी (उप-केंद्र सूरत)	➤ सूरत में सब-सेंटर के ऑपरेशन और बिज़नेस डेवलपमेंट की देखरेख करना ➤ सॉफ्टवेक्स प्रमाणन ➤ आगामी प्रोजेक्ट्स -एसटीपीआई अपस्किल ➤ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी (2.0 योजना की देखरेख

कृपया शासी परिषद (जी सी)/महानिदेशक (डी जी)/वरिष्ठ निदेशक/ क्षेत्राधिकार निदेशक/ केन्द्र/उप केन्द्रों के प्रमुख (निदेशक को छोड़कर) के शक्ति प्रापयायोजन के लिए एसटीपीआई-मुख्यालय की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एसटीपीआई.आई.एन को देखें।
कृपया शासी परिषद/महानिदेशक/वरिष्ठ निदेशक/क्षेत्राधिकार निदेशक/केन्द्र/उप केन्द्रों के प्रमुख (निदेशक को छोड़कर) के शक्ति प्रापयायोजन के लिए एसटीपीआई-मुख्यालय की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एसटीपीआई.आई.एन को देखें।

अध्याय 4-पर्यवेक्षण और उपर्युक्त जवाबदेही के माध्यमों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया विधि]धारा 4) (1)बी[(iii) (कृपया एसटीपीआई-मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

अध्याय 5: एसटीपीआई के कार्यकलापों का निर्वाहन करने के लिए एसटीपीआई द्वारा तय किए गए मानक)धारा 4) (1)बी((iv) एसटीपीआई द्वारा निष्पादन के लिए तय मानक का विवरण कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

अध्याय - 6 कार्यकलाप के निर्वाहन हेतु एसटीपीआई के अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त या इसके नियंत्रणाधीन नियम ,विनियम ,अनुदेश मैनुअल और अभिलेख)धारा 4) (1)बी (v)(

6.1 एसटीपीआई द्वारा प्रयुक्त दस्तावेज़

कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

अध्याय 7 : एसटीपीआई द्वारा अथवा इसके नियंत्रण में रखे दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण]धारा 4) (1)बी[(vi)(कृपया एसटीपीआई- मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in देखें।

अध्याय - 8 व्यवस्था के विवरण जो नीति अथवा कार्यान्वयन के निर्धारण के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व या उनके परामर्श के लिए मौजूद है]धारा 4)बी[(vii) (वर्तमान में , ऐसी व्यवस्था कोई उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्याय 9 : मण्डलों ,परिषद ,समितियों तथा दो अथवा अधिक व्यक्तियों के अन्य निकायों के विवरण जो इसके भाग के रूप में अथवा सलाह के प्रयोजन हेतु गठित किए गए हों और क्या इन मण्डलों ,परिषदों ,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं अथवा उक्त बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच है। धारा 4) (1)बी(viii) (

कृपया एसटीपीआई-मुख्यालय की वेबसाइट www.stpi.in को देखें।

9.1.1 स्थाई कार्यकारी मण्डल (एसईबी)

(क) प्रत्येक राज्य के लिए एक स्थायी कार्यकारी बोर्ड (एसईबी) का गठन किया जाएगा जहाँनीतिगत और प्रचालनात्मक मुद्दों के लिए उद्योग और राज्य सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए एसटीपीआई का एक केन्द्र है। एसईबी द्वारा केन्द्रों/उप-केन्द्रों को भविष्य में विस्तारित करने की योजनासुविधाओं की वृद्धि प्रत्येक एसटीपी ,

(i)मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एसटीपीआई -महानिदेशक	अध्यक्ष
(ii)उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एसटीपीआई वरिष्ठ निदेशक –	उपाध्यक्ष
(iii)एसटीपीआई प्रभाग के लिए कार्यक्रम प्रधान, प्रशासनिक मंत्रालय प्रतिनिधि/	सदस्य
(iv)सचिवराज्य सरकार ,सूचना प्रौद्योगिकी ,/उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(v)आयुक्त (सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क)/उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(vi) आयुक्त (आयकर)उनके प्रतिनिधि/धि	सदस्य
(vii) स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि	सदस्य
(ix) केन्द्र प्रमुख, एसटीपीआई	सदस्य सचिव

* उपरोक्त परिषद/समिति/मण्डल की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं।

अध्याय - 10 : एसटीपीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका]धारा 4)(1)बी(ix)(

एसटीपीआई गांधीनगर और उप-केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण (नियमित)निम्नलिखित दिया गया है:-

एसटीपीआई-गांधीनगर			
क्रम. सं.	नाम	पद का नाम	ई-मेल
1.	श्रीमती सोनल भाटवडेकर	निदेशक	sonal[DOT]bhatawadekar[AT]stpi[DOT]in
2.	श्री अजय भोसले	एमटीएस ई-V)वैज्ञानिक 'एफ('	ajay[DOT]bhosale[AT]stpi[DOT]in
3.	श्री कांतराजू एच एस	एमटीएस ई-V)वैज्ञानिक 'एफ('	hs[DOT]kantharaju[AT]stpi[DOT]in
4.	श्री अभिषेक तिवारी	एमटीएस ईIV-)वैज्ञानिक 'ई('	abhishak[AT]stpi[DOT]in
5.	श्री भागीरथी साहू	वरिष्ठ वित्त अधिकारी ग्रेड-I (एमएसीपी(	b[DOT]sahoo[AT]stpi[DOT]in
6.	श्री अनंत दीप एस वाधवा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (A-VII)	anant[DOT]wadhw[AT]stpi[DOT]in
7.	श्रीमती बिंदु जांगीड	तकनीकी अधिकारी-I	bindu[DOT]jangir[AT]stpi[DOT]in
8.	श्री शशिकांत पटेल	तकनीकी अधिकारी-I-	shashikant[DOT]patel[AT]stpi[DOT]in
9.	श्रीमती सरला पार्थसारथी	प्रशासनिक अधिकारीII-	sarala[DOT]parthasaradhy[AT]stpi[DOT]in
10.	श्री किरण के .पाध	प्रशासनिक अधिकारीII-	kiran[DOT]padh[AT]stpi[DOT]in
11.	श्री रितेश गोयल	लेखा अधिकारी)ए-(V	ritesh[DOT]goel[AT]stpi[DOT]in
12.	श्री रचित लवानिया	एमटीएसएस ईएसVI-	rachit[DOT]lawania[AT]stpi[DOT]in
13.	श्री नीरज आलेकर	लेखा अधिकारी)ए-(V	neeraj[DOT]alekar[AT]stpi[DOT]in
14.	श्री रौनक नायक	सहायक)ए(III-	ronak[DOT]nayak[AT]stpi[DOT]in
15.	सुश्री दीपिका मल्ल	सहायक)ए(III-	deepika[DOT]mall[AT]stpi[DOT]in

एसटीपीआई-सूरत

क्रम .सं.	नाम	पद का नाम	ई-मेल
1	श्री अंचल पांडे	प्रभारी अधिकारी एमटीएस ई-IV (वैज्ञानिक 'ई('	anchal[DOT]pandey[AT]stpi[DOT]in
2	श्री डिकसन जे .क्रिश्चियन	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)ए(VII-	dikson[DOT]christian[AT]stpi[DOT]in
3	श्री हितेश पी .नारखेडे	एमटीएस ईII-)वैज्ञानिक 'सी('	hitesh[DOT]narkhede[AT]stpi[DOT]in

अध्याय - 11 : एसटीपीआई के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मिलने वाला मासिक वेतन और विनियमन में इसके प्रदान किए जाने वाले मुआवज़े की प्रणाली धारा 4) (1)बी(x) (

एसटीपीआई- गांधीनगर और उप केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं .	नाम (श्री / श्रीमती)	पद का नाम	लेवल एवं पे जुलाई 2026 तक	
			स्तर	वेतन)रु(.
1	सोनल भाटवडेकर	निदेशक	13ए	181500
2	अजय भोसले	एमटीएस ई-) Vवैज्ञानिक 'एफ('	13ए	166100
3	कांतराजू एच एस	एमटीएस ई-) Vवैज्ञानिक 'एफ('	13ए	166100
4	अभिषेक तिवारी	एमटीएस ई-IV (वैज्ञानिक 'ई('	13	130600
5	अंचल पांडे	एमटीएस ई-IV (वैज्ञानिक 'ई('	13	123100
6	भागीरथी साहू	वरिष्ठ वित्त अधिकारी ग्रेड-I (एमएसीपी(	12	105900
7	अनंत दीप सिंह बाधवा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(A-VII)	11	85800
8	डिक्सन जे .क्रिश्चियन	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(A-VII)	11	80900
9	हितेश पी .नारखेडे	एमटीएस ई-II (वैज्ञानिक 'सी('	11	71800
10	बिंदु जांगीड	तकनीकी अधिकारीI-	9	63300
11	शशिकांत पटेल	तकनीकी अधिकारीI-	9	58000
12	सरला पार्थसारथी	प्रशासनिक अधिकारीII-	9	73400
13	किरण के .पाध	प्रशासनिक अधिकारीII-	9	63300
14	रितेश गोयल	लेखा अधिकारी)ए-(V	7	52000
15	रचित लवानिया	एमटीएसएस ईएसVI-	7	49000
16	नीरज आलेकर	लेखा अधिकारी)ए-(V	7	46200
17	रौनक नायक	सहायक)ए(III-	5	37000
18	दीपिका मल्ल	सहायक)ए(III-	5	33900

अध्याय - 12: सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों)भुगतानों (पर रिपोर्ट के वितरण दर्शाते हुए प्रत्येक केन्द्र/उप-केन्द्र को आबंटित बजट]धारा (1)4बी[(xi) (

एसटीपीआई ,गांधीनगर केंद्र को गतिविधि-वार समूहित किया गया है ,प्रत्येक समूह में एक एमटीएस ई-V / एमटीएस ई-IV / प्रभारी अधिकारी प्रमुख होता है। इन समूहों द्वारा वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं। एसटीपीआई-गांधीनगर लाभ केंद्र के रूप में ,उनके खर्चों को उनके संबंधित आय और एसटीपीआई-गांधीनगर द्वारा तैयार किए गए अलग-अलग आय और व्यय खाते से मिलते हैं। डाटाकॉम आय ,परियोजना परामर्शों और बैंक से प्राप्त ब्याज से हुई कुल आय से डाटा लिंक प्रभारों , स्थापना और प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय इस आय से पूरे किए जाते हैं।

अध्याय - 13 : आबंटित राशि और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका]धारा 4) (1)बी[(xii)(
एसटीपीआई में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

अध्याय - 14 : एसटीपीआई द्वारा दी गई रियायतों ,परिमित अथवा प्राधिकार को पाने वालों के विवरण]धारा 4)(xiii)(1)

एसटीपीआई द्वारा योजनाओं क्रमशः एसटीपी/ईएचटीपी के अंतर्गत एसटीपी/ईएचटीपी की स्थापना का अनुमोदन दिया जाता है। योजनाओं के अन्तर्गत लाभों की पात्रता शत प्रतिशत सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्यातोन्मुख इकाइयों को होती है।

अध्याय - 15: एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संक्षिप्त रूप में एसटीपीआई के लिए उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई जानकारी के संदर्भ में विवरण।
कृपया एसटीपीआई-मुख्यालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एसटीपीआई.इन को देखें।

अध्याय - 16: एक पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष के कार्य समय सहित सूचना प्राप्त करने के लिए ,अगर नागरिकों के लिए उपलब्ध है ,सुविधाओं के विवरण।)धारा 4) (1)बी[(xv) (

आम जनता के लिए कोई पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष नहीं बनाया गया है। जबकि, एसटीपीआई केन्द्रों में समर्पित व्यापार विकास/एक्जिम आयात निर्यात समूह हैं ,जहाँ सॉफ्टवेयर निर्यातक/इकाइयों/उद्योग ,जो जानकारी पाना चाहते हैं ,वे कार्य समय में किसी भी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिए जा सकते हैं। आवश्यक जानकारी संगठन की वेबसाइट (<https://gandhinagar.stpi.in/>) में भी उपलब्ध है।

अध्याय - 17 : लोकसूचना अधिकारियों के नाम ,पद और अन्य विवरण]धारा 4)(1) बी [(xvi)(

क्रम संख्या	एसटीपीआई केंद्र का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पद का नाम	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	मोबाइल न.	ई-मेल
.1	एसटीपीआई-मुख्यालय	श्री संजय कुमार गुप्ता	वरिष्ठ निदेशक	20815074-011	9868884082	sanjay[DOT]gupta[AT]stpi[DOT]in

क्रम संख्या	एसटीपीआई केंद्र/उपकेंद्र के नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी)एपीआईओ (का नाम	पद का नाम	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	मोबाइल न.	ई-मेल

.1	गांधीनगर और सूरत	श्री अंचल पांडे	एमटीएस ई IV- (वैज्ञानिक 'ई')	2972755-261-91+	9723895185	anchal[DOT]pandey[AT] stpi[DOT]in
----	---------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	------------	--------------------------------------

अध्याय :18-ऐसी अन्य कोई जानकारी जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए] धारा 4(1)(बी)[(xvii)(

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ,हेडक्वार्टर और एसटीपीआई गांधीनगर के ऑफिस और उसके अन्य -सेंटर्स के पते :

एसटीपीआई -मुख्यालय

महानिदेशक

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

प्लेट-बी, प्रथम तल, ऑफिस ब्लॉक -1,

पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023

दूरभाष 24628081-11-91+ : फैक्स20815076-11-91+ :

यूआरएल: www.stpi.in

एसटीपीआई - गांधीनगर

निदेशक ,

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ,

9वीं मंजिल ,गिफ्ट वन टावर ,ब्लॉक-56, रोड-5सी ,जोन,5-

गिफ्ट सिटी ,गांधीनगर-382355 (गुजरात(

फ़ोन 32/66748531-79-91+ :

फैक्स 66748533-79-91+ :

ईमेल gnr.info@stpi.in :

वेबसाइट<https://gandhinagar.stpi.in> :

एसटीपीआई -सूरत

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

जियाव-बुडिया रोड ,सोमेश्वर सोसायटी के पास,

गाँव :भेस्तान ,तालुका :चोरासी ,

सूरत -395023 (गुजरात(

फ़ोन 9723895185-91+

NOTE: "Incase of any discrepancies in transalation, the English version shall prevail"